न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या–138/2021
आरसीएमएस नं. 2021/138

सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह आयु 63 वर्ष जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––अपीलाण्ट/प्रतिवादी संख्या 50

बनाम

1. कुलराज सिंह | पिसरान स्व0 श्री हाकम सिंह जाति जटसिख निवासीगण बोलांवाली तहसील
2– शिवराज सिंह | संगरिया, जिला हनुमानगढ़।
बलराज सिंह
4– कश्मीर सिंह

––रेस्पोडेंट/वादीगण

5– *तरसेम सिंह पुत्र श्रीमति रणजीत कौर पुत्री श्री हाकम सिंह
6– बलजीत कौर | पुत्रियां स्व0 श्री हाकम सिंह
7– सुखजीत कौर
8– कुलदीप कौर
जाति जटसिख निवासीगण बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
9– बलदेव सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
10– सतपाल सिंह पुत्र श्री आत्मा सिंह | जाति जटसिख निवासीगण 63 जी.बी. तहसील
11– करतार कौर धर्मपत्नी श्री आत्मा सिंह | अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर।
12– जरनैल कौर (पुत्री स्व0 श्री भाग सिंह) धर्मपत्नी श्री खेता सिंह (फौत)
12/1–प्रीतम सिंह
12/2–नायब सिंह | पिसरान (स्व0 श्रीमति जरनैल कौर पुत्री स्व0 श्री भाग सिंह) पिता स्व0 श्री
12/3–अंग्रेज सिंह | खेता सिंह जाति जटसिख निवासी ... वाला सिखान, तहसील संगरिया,
12/4–सुखदेव सिंह | जिला हनुमानगढ़।
12/5–मलकीत सिंह
12/6–सुखमन्द्र सिंह
12/7–बलवीर सिंह
12/8–बलराज सिंह पुत्र स्व0 श्रीमति जरनैल कौर पुत्र भाग सिंह (फौत)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:11:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

12/8/1–सर्वजीत कौर धर्मपत्नी बलराज सिंह

12/8/2–रविन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री बलराज सिंह
जाति जटसिख निवासीगण जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

13– गुरदेव कौर (पुत्री स्व0 श्री भाग सिंह) धर्मपत्नी जसवन्त सिंह मान जाति जटसिख निवासी मिठडी, पो0ओ0 मिठडी, तहसील डबवाली, जिला सिरसा।

14– बलवीर कौर (पुत्री स्व0 श्री भाग सिंह) धर्मपत्नी श्री रणजीत सिंह (फौत)

14/1–गुरचरण सिंह
14/2–राजेन्द्र सिंह
14/3–बलदेव सिंह
(पुत्रगण स्व0 श्रीमति बलवीर कौर पुत्री स्व0 श्री भाग सिंह) पुत्र श्री रणजीत सिंह जाति जटसिख (ढिल्लो) निवासीगण चक 10 एल.एल. पो0 ओ0 चुनावढ, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

15– सरजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री भाग सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

16– सुजान कौर धर्मपत्नी स्व0 श्री नाहर सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

[illegible]न्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

18– जि[illegible] सिंह
19– [illegible]जेन्द्र सिंह
20– लखविन्द्र सिंह
पिसरान श्री मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

21– रमनदीप कौर पुत्री श्री मेजर सिंह
22– सुरेन्द्रपाल कौर पुत्री नाहर सिंह
जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

23– करतार सिंह पुत्र श्री ईसर सिंह (फौत)

23/1–सतनाम सिंह पुत्र स्व0 श्री करतार सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

24– कुलराज सिंह
25– बलदेव सिंह
पिसरान स्व0 श्री जीत सिंह जाति जटसिख निवासी करड़वाली तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।

26– सुखदेव सिंह पुत्र स्व0 श्री जीत सिंह जाति जटसिख निवासी अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

27– जसवीर कौर (पुत्री स्व0 श्री जीत सिंह) धर्मपत्नी श्री गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी चक सराववाला तहसील [illegible]।

28– बिन्द्र कौर (पुत्री स्व0 श्री जीत सिंह) धर्मपत्नी श्री [illegible]पाल सिंह जाति जटसिख निवासी खुनीचक तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:11:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

29– भगवानाराम पुत्र श्री दूदाराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

30– बलदेव सिंह | पुत्रगण श्री सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया
31– रणजीत सिंह | जिला हनुमानगढ़।
32– सुखमन्द्र सिंह

33– जीत सिंह | पुत्रगण श्री हरबंश सिंह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया
34– सरजीत सिंह | जिला हनुमानगढ़।
35– नक्षत्र सिंह
36– गुरदयाल सिंह

37– अमरजीत सिंह | पुत्रगण श्री वीर सिंह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया
38– मखन सिंह | जिला हनुमानगढ़।
39– बलदेव सिंह

40– लाभ सिंह | पुत्रगण श्री वीर सिंह जाति जटसिख निवासीगण सन्तपुरा तहसील संगरिया
41– जंगा सिंह | जिला हनुमानगढ़।

42– सन्धूरा सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

43– बलवीर सिंह | पिसरान श्री नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया
44– गुरसेवक सिंह | जिला हनुमानगढ़।

45– गुरतेज सिंह | पुत्रगण श्री लाभ सिंह जाति जटसिख निवासीगण बोलांवाली तहसील
46– राज सिंह | संगरिया जिला हनुमानगढ़।
47– पाला सिंह

48– दर्शन सिंह | पुत्रगण श्री भाग सिंह जाति जटसिख निवासीगण बोलांवाली तहसील
49– हरबंश सिंह | संगरिया जिला हनुमानगढ़।

50– गुरजण्ट सिंह पुत्र श्री जीत सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

51– राम सिंह | पुत्रगण श्री सोहनलाल जाति जाट निवासीगण दीनगढ़ तहसील संगरिया
52– रघुवीर सिंह | जिला हनुमानगढ़।
53– राजेन्द्र कुमार

54– गमदूर सिंह | पुत्रगण श्री तेजा [illegible] दीनगढ़ तहसील
55– ठाकर सिंह | संगरिया जिला हनुमानगढ़।
56– मेजर सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:11:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

57– जगसीर सिंह पुत्र श्री बुटा सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

58– मनदीप कौर पुत्री श्री बाग सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

59– जय सिंह पुत्र श्री उदाराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

60– जसवीर कौर धर्मपत्नी श्री नक्षत्र सिंह
61– सुखजिन्द्र सिंह पुत्र श्री नक्षत्र सिंह
| जाति जटसिख निवासीगण सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

62– सोहनलाल पुत्र श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

63– सतपाल
64– भूप सिंह
65– सरदूल सिंह
| पुत्रगण श्री मांगीलाल जाति जाट निवासीगण बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

66– भोला सिंह
67– मेजर सिंह
68– दर्शन सिंह
69– तारा सिंह
| पुत्रगण श्री गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासीयान लम्बीढाब, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

70– [illegible] सिंह पुत्र श्री अर्जन सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बीढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

71– ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा दीनगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

72– पंजाब नेशनल बैंक शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

73– स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

74– तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

75– तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर।

——रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण संख्या 1 से 49, 51 से 54, 56 से 73

उपस्थित :– 1. श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता —— [illegible]ट
2. श्री भीम सिंह [illegible] अधिवक्ता —— [illegible]डेंट सं0 15
3. श्री रविन्द्र भोभि[illegible] अधिवक्ता —— रेस्पोडेंट सं0 74
4. शेष रेस्पोडेंट एकपक्षीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:11:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2012 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) संगरिया, राजस्व वाद संख्या 70/2010 शीर्षक "कुलराज सिंह आदि बनाम तरसेम सिंह आदि"

:: निर्णय :: दिनांक : 27.6.22

1. अपीलाण्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2012 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट के दादा स्व0 श्री भाग सिंह पुत्र श्री अर्जन सिंह के नाम से चक 5 ए.एम.पी., चक 7 ए.एम.पी., चक 8 ए.एम.पी., चक 9 ए.एम.पी. व चक 11 ए.एम.पी. तथा चक 15 बी. जी.पी. में 87 बीघा 7 बिस्वा भूमि थी तथा अन्य सहखातेदारों के साथ हुये बंटवारा अनुसार उनके कब्जा काश्त में चक 7 ए.एम.पी. में 44 बीघा व चक 8 ए.एम.पी. में 21 बीघा, चक 5 ए.एम.पी. में 19 बीघा 7 बिस्वा व चक 15 बी.जी.पी. में 3 बीघा कुल 87 बीघा भूमि थी। स्व0 श्री भाग सिंह ने अपने हक व हिस्सा तथा कब्जा काश्त की भूमि अनुसार उक्त वर्णित 87 बीघा 7 बिस्वा की वसीयत अपने पुत्र रेस्पोडेंट संख्या 15 व पौत्र अपीलाण्ट के पक्ष में बहिस्सा बराबर दिनांक 15.01.1980 को निष्पादित कर रजिस्टर्ड करवाई। स्व0 श्री भाग सिंह के देहान्त उपरान्त चक 8 ए.एम.पी., चक 5 ए.एम.पी. व चक 15 बी.जी.पी. की कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में इस वसीयत अनुसार अपीलाण्ट व उसके पिता रेस्पोडेंट संख्या 15 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हो गई लेकिन चक 7 ए.एम.पी. के खाता संख्या 48/45 खाता हाकम सिंह वगैरा में स्व0 श्री भाग सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि का वसीयत के अनुसार इन्तकाल दर्ज न होकर विरासतन इंतकाल रेस्पोडेंट संख्या 15 व उनकी बहिनों जरनेल कौर, गुरदेव कौर, बलवीर कौर रेस्पोडेंट संख्या 12 से 14 तथा बहिन स्व0 श्रीमति सरजीत कौर जो रेस्पोडेंट संख्या 24 से 28 की माता है, के नाम दर्ज हो गया। चक 7 ए.एम.पी. में राजस्व अभिलेख अनुसार स्व0 श्री भाग सिंह के नाम 7.409 हैक्टेयर अर्थात 29 बीघा 6 बिस्वा भूमि थी जबकि अन्य सहखातेदारों के साथ हुये घरू बंटवारा अनुसार चक 9 ए.एम.पी. व चक 7 ए.एम.पी. की भूमि का घरेलू बंटवारा हो जाने से चक 9 ए.एम.पी. की भूमि पर स्व0 श्री भाग सिंह का कब्जा न होकर चक 7 ए.एम.पी. के खाता हाकम सिंह आदि में कुल 22.267 हैक्टेयर में निस्फ हिस्सा की भूमि पर कब्जा था तथा इस खाता में स्व0 श्री भाग सिंह के कब्जा काश्त में अपील मीमो में वर्णित 44 बीघा भूमि थी। अपीलाण्ट के पिता श्री सरजीत सिंह रेस्पोडेंट संख्या 15 व अपीलाण्ट ने इस वसीयत के आधार पर चक 7 ए.एम.पी. की उक्त 44 बीघा भूमि के संबंध में संयुक्त रूप से न्यायालय सहायक कलैक्टर के समक्ष राजस्व वाद संख्या 262/94 शीर्षक "सरजीत सिंह आदि बनाम बसन्त कौर आदि" दिनांक 25.11.1994 को प्रस्तुत किया। इस वादपत्र में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश हुये तथा एकपक्षीय साक्ष्य में श्री सरजीत सिंह रेस्पोडेंट संख्या 15 के बयान दिनांक 09.09.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:11:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

1992 को लेखबद्ध हुये व पत्रावली बहस हेतु लम्बित रही। अपीलाण्ट ने यह कथन भी किये है कि अपीलाण्ट की माता श्रीमति सरजीत कौर के देहान्त होने के बाद अपीलाण्ट के पिता रेस्पोडेंट संख्या 15 ने द्वितीय विवाह अंग्रेज कौर के साथ कर लिया तथा इस विवाह संबंध से दो पुत्रियां मनप्रीत कौर–वीरपाल कौर व एक पुत्र विरेन्द्रपाल सिंह का जन्म हुआ। रेस्पोडेंट संख्या 15 अपनी द्वितीय पत्नी के प्रभाव में आ जाने के कारण अपीलाण्ट से भेदभाव व द्वेष रखने लगा तथा अपीलाण्ट को उसके दादा की वसीयत अनुसार प्राप्त निस्फ हिस्सा से वंचित रखने का इरादा रखने लगा। अपीलाण्ट ने यह कथन भी किये है कि राजस्व वाद संख्या 262/94 शीर्षक ''सरजीत सिंह आदि बनाम बसंत कौर आदि'' की पैरवी रेस्पोडेंट संख्या 15 ही करते थे तथा उक्त प्रकरण बहस की स्टेज पर आ जाने के बाद अपीलाण्ट से छिपे तौर पर स्वय की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 व धारा 151 सीपीसी दिनांक 27.07.2000 को प्रस्तुत कर इस वादपत्र को कथित रूप से तकनीकी खामी बताकर प्रत्याहत्त करने क निवेदन किया तथा न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र पर अपीलाण्ट को सुने बिना दिनांक 27.07.2000 को यह वादपत्र नया वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति देते हुए खारिज कर दिया। अपीलाण्ट इस तथ्य से अनभिज्ञ रहा। उक्त वादपत्र के खारिज होने के बाद रेस्पोडेंट संख्या 15 ने स्व0 श्री भाग सिंह की वसीयत अनुसार अपीलाण्ट के नीहित 1/2 हिस्सा पर कुठाराघात करने के आशय से चक 7 ए.एम.पी. की भूमि का गलत रूप से दर्ज विरास्तन इंतकाल का फायदा उठाकर अपनी बहिनों की ओर से पंजीकृत त्याग पत्र करवाकर चक 7 ए.एम. पी. की भूमि अकेले अपने नाम नामान्तरित करवा ली। रेस्पोडेंट संख्या 15 की इस विधि विरूद्व कार्यवाही का ज्ञान होने पर अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलैक्टर संगरिया के समक्ष राजस्व वाद संख्या 24/2008 शीर्षक ''सुरेन्द्रपाल सिंह बनाम सरजीत सिंह आदि'' दिनांक 04.02.2008 को प्रस्तुत किया तथा स्व0 श्री भाग सिंह के नाम दर्ज भूमि में अपीलाण्ट ने 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित करने का अनुतोष याचित किया तथा राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं किये जाने व इस भूमि को रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित करने से निषिद्ध किये जाने की स्थाई निषेधाज्ञा याचित की। इस वादपत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट विविध राजस्व संख्या 12/2018 शीर्षक ''सुरेन्द्रपाल सिंह बनाम सरजीत सिंह आदि'' में न्यायालय द्वारा स्थगन जारी किया गया जो आज भी प्रभावशील है। रेस्पोडेंट संख्या 15 ने इस वादपत्र में उपस्थित आकर स्व0 श्री भाग सिंह द्वारा निष्पादित एवं पंजीकृत वसीयत दिनांक 05.01.1982 के तथ्य को असत्य पूर्वक इन्कार किया। अपीलाण्ट ने जबावुल जबाव प्रस्तुत कर पूर्व में दायर राजस्व वाद संख्या 262/94 में रेस्पोडेंट संख्या 15 द्वारा वसीयत के संबंध में की गई स्वीकृति को प्रकट किया। यह जबावुल जबाव माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 12.01.2017 के अनुसार अभिलेख पर लिया जा चुका है तथा यह राजस्व वाद अभी तक विचाराधीन है। अपीलाण्ट ने यह कथन भी किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 24/2008 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:11:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

विचाराधीन रहते अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 ने एक राजस्व वाद संख्या 70/2010 शीर्षक "कुलराज सिंह आदि बनाम तरसेम सिंह आदि" प्रस्तुत किया तथा इस वादपत्र में स्व0 श्री भाग सिंह की संयुक्त खातो की भूमि को भी सम्मिलित किया गया तथा स्व0 श्री भाग सिंह के वारिसान को प्रतिवादीगण संख्या 8 से 11, 20 से 24 व 50 के रूप में पक्षकार बनाया गया। इस वादपत्र में अपीलाण्ट प्रतिवादी सख्या 50 के रूप में पक्षकार था तथा तारीख पेशी 02.06.2010 के लिए जारी सम्मन की तामील अपीलाण्ट पर नहीं हुई व दिनांक 02.06.2010 को अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश फरमाये गये। इस वादपत्र के प्रतिवादीगण संख्या 8 से 11, 20 से 24 (रेस्पोडेंट संख्या 12 से 15 व 24 से 28) ने पृथक पृथक जबावदावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत किये तथा उन्होनें स्व0 श्री भाग सिंह के द्वारा निष्पादित वसीयत एवं अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 24/2008 के तथ्यों को न्यायालय से छुपाकर स्व0 श्री भाग सिंह की उक्त वर्णित कृषि भूमि के संबंध में खाता विभाजन का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वादपत्र के वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर दिनांक 29.10.2012 को निर्णय व डिक्री पारित की है व यह निर्णय व डिक्री पारित होने के उपरान्त रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4/वादीगण के निवेदन पर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4/वादीगण के पक्ष में पारित डिक्री को दिनांक 28.04.2014 को अपास्त कर दिया तथा प्रतिवादीगण संख्या 8 से 11, 20 से 24 (रेस्पोडेंट संख्या 12 से 15 व 24 से 28) के काउंटर क्लेम के आधार पर पारित डिक्री को यथावत् रखने के आदेश दिये है।

2. अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त राजस्व वाद संख्या 70/2010 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.10.2012 जिसके अन्तर्गत प्रतिवादीगण संख्या 8 से 11, 20 से 24 (रेस्पोडेंट संख्या 12 से 15 व 24 से 28) के पक्ष में काउंटर क्लेम के आधार पर पारित डिक्री को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत करते हुए इस अपील में अपील में वर्णित आधारों पर चुनौती दी है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट ने दिनांक 11.10.2022 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उसके द्वारा इस अपील में सिर्फ रेस्पोडेंट संख्या 12 से 15 व 24 व 28 के पक्ष में काउंटर क्लेम के आधार पर पारित डिक्री को चुनौती दी गई है तथा इस अपील में प्रभावित पक्षकार सिर्फ रेस्पोडेंट संख्या 12 से 15 व 24 से 28 है। शेष रेस्पोडेंट के विरूद्ध अपीलाण्ट का कोई अनुतोष नहीं है लेकिन उन्हें मात्र तरतीबी रेस्पोडेंट बनाया गया है इसलिए रेस्पोडेंट संख्या 12 से 15 व 24 से 28 के अलावा शेष रेस्पोडेंट [illegible] करने की छूट प्रदान करने का निवेदन किया। अपीलाण्ट का [illegible] पत्र [illegible] 11.10.2021 को स्वीकार किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 15 के अ[illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:11:11 IST
Reason: SelfAttested

4. अपीलाण्ट ने इस अपील में अधीनस्थ न्यायालय [illegible] अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2012 को मुख्यतः इस आधार पर चुनौती दी है कि उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की तामील नहीं हुई। अपीलाण्ट को जारी सम्मन की पुश्त पर अंकित

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पृष्ठांकन से स्पष्ट है कि ये सम्मन अपीलाण्ट की गैरमौजूदगी में चस्पां किया गया है तथा आदेश 5 नियम 17 सीपीसी के अन्तर्गत चस्पांदगी की कार्यवाही तभी की जा सकती है जबकि प्रतिवादी द्वारा या उसके प्रतिनिधि द्वारा सम्मन लेने से इन्कार किया गया हो। चस्पादगी की इस कार्यवाही में गवाह का नाम व पता अंकित नहीं है बल्कि "प्राप्तकर्ता धर्मपाल" अंकित किया गया है। धर्मपाल नामक कोई व्यक्ति अपीलाण्ट के परिवार का सदस्य नहीं है तथा विधि अनुसार भी न्यायालय के आदेश के बिना सम्मन की तामील चस्पांदगी से नही हो सकती थी व इस प्रकार अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रहा है। अपीलाण्ट ने अपील में यह भी आधार लिया है कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 24/2008 शीर्षक "सुरेन्द्रपाल सिंह आदि बनाम सरजीत सिंह आदि" में रेस्पोडेंट संख्या 12 से 15 व 24 से 28 पक्षकार थे तथा वे उपस्थित भी आ चुके थे, उन्होनें अपना जबाव दावा भी प्रस्तुत कर दिया था, उन्हे इस तथ्य का ज्ञान था कि स्व0 श्री भाग सिंह की कृषि भूमि के संबंध में उनकी वसीयत के आधार पर अपीलाण्ट ने खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया हुआ है जो विचाराधीन है। इस पूर्ववर्ती वादपत्र के विचाराधीन रहने के तथ्य व स्व0 श्री भाग सिंह द्वारा निष्पादित वसीयत के तथ्यों को रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय से छिपाते हुए अपीलाण्ट के हितो पर कुठाराघात किया है तथा स्व0 श्री भाग सिंह के नाम दर्ज भूमि के संबंध में खाता विभाजन का काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 से मिलीभगत कर अपने द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम के आधार पर स्व0 श्री भाग सिंह की चक 7 ए.एम.पी. व चक 8 ए.एम.पी. के संबंध में खाता विभाजन की डिक्री हासिल की है। पूर्ववती राजस्व वाद संख्या 24/2008 के विचाराधीन रहते वादपत्र की विषयवस्तु के संबंध में यह पश्चातवर्ती वादपत्र या तो स्थगित किये जाने योग्य था अथवा पूर्ववती वादपत्र के साथ समेकित किया जाना चाहिए था। अपीलाण्ट ने यह भी आक्षेप लगाया है कि इस वादपत्र के वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 8 से 11 व 20 से 24 ने आपस में मिलीभगत की हुई थी तथा वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 ने सिर्फ प्रतिवादीगण संख्या 8 से 11 व 20 से 24 का काउंटर क्लेम डिक्री करवाने के आशय से ही यह वादपत्र प्रस्तुत किया तथा निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2012 के पारित होने के बाद वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 ने अपना वादपत्र वापिस ले लिया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वादपत्र निरस्त करते हुए काउंटर क्लेम के संबंध में पारित डिक्री को यथावत रखते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पर नोट अंकित किया है। अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद [illegible] में यह कथन किये है कि उसे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का [illegible] संख्या 15 ने उक्त डिक्री के आधार पर राजस्व अभिलेख में [illegible] ए.एम.पी. के खाता संख्या 101/186 में 11.132 हैक्टेयर भूमि जो अपीलाण्ट [illegible] रेस्पोडेंट संख्या 15 की बहिस्सा बराबर की थी, का अपने अकेले के नाम अमलदरामद करवाकर उक्त भूमि में से पत्थर नंबर 164/153 (34) के किला नंबर 10 में डिग्गी का निर्माण प्रारम्भ करने पर माह जून

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:11:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

2021 में इंतकाल संख्या 492 की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने पर व तत्पश्चात् अभिलेख की तलाश करने पर अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई है तथा दिनांक 08.07.2021 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर यह अपील ज्ञान के दिवस से अन्दर मियाद प्रस्तुत किये जाने से इस अपील को अन्दर मियाद ग्रहण करने का निवेदन किया है।

5. उभय पक्षकारों की बहस सुनी गई। अपीलाण्ट ने यह अपील अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 10.08.2021 को प्रस्तुत की है, इसलिए सर्वप्रथम मियाद बिन्दू को तय किया जाना न्यायोचित है। अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी रेस्पोडेंट संख्या 15 के द्वारा माह जून 2021 में इंतकाल संख्या 492 के आधार पर चक 7 ए.एम.पी. के पत्थर नंबर 164/153 (34) के किला नंबर 10 में डिग्गी का निर्माण प्रारम्भ करने से अभिलेख की पड़ताल करने पर होने का कथन किया है तथा इन तथ्यों के संबंध में अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। अपीलाण्ट ने इंतकाल संख्या 492 की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की है जो उसे दिनांक 24.06.2021 को प्राप्त हुई है। अपीलाण्ट के इस प्रार्थना पत्र के खण्डन में रेस्पोडेंट संख्या 15 ने जबाव प्रस्तुत करते हुए अपीलाण्ट द्वारा कोई युक्तियुक्त कारण प्रकट नही किये जाने का कथन किया है। अपीलाण्ट ने सम्मन की तामील होने से भी स्पष्ट इन्कारी की है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2012 का प्रारम्भ से ही ज्ञान रहा हो, के संबंध में रेस्पोडेंट ने कोई तात्विक तथ्य प्रकट नहीं किये है। अपीलाण्ट ने न्यायदृष्टान्त आर.आर.टी. 2018 (1) पेज 601 प्रस्तुत करते हुए अपील को विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का पर्याप्त कारण बताते हुए अपील अन्दर मियाद ग्रहण किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत न्यायदृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार न्यायहित में इस अपील को गुणावगुणों पर निर्णीत किया जाना श्रेयस्कर है तथा मियाद के बिंदू के संबंध में उदारतापूर्ण विचार करते हुए अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर यह अपील गुणावगुणों पर निर्णित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराया तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तारीख पेशी 02.06.2010 के लिए जारी सम्मन मय पुश्त की प्रमाणित प्रतिलिपि की ओर ध्यान आकर्षित करवाते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि यह सम्मन सायल की अनुपस्थिति में [illegible] गया है व चस्पादंगी के समय उपस्थित गवाह का नाम व पता [illegible] कानूनन चस्पांदगी की कार्यवाही न्यायालय के आदेश के बिना नही [illegible] इस सम्मन की तामील विधिसम्मत नहीं मानी जा सकती, अपने इस तर्क के समर्थन में आर.आर.डी 2007 पृष्ठ 463 व आर.आर.डी. 2002 पृष्ठ 580 व आर.आर.डी. 2010 पृष्ठ 647 के न्यायदृष्टान्त प्रस्तुत किये व अपीलीय न्यायालय को भी सम्मन की तामील की वैद्यता का परीक्षण करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:11:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

का अधिकार होने के संबंध में न्यायदृष्टान्त आर.आर.डी 2010 पेज 415 प्रस्तुत किये। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने यह भी तर्क दिया कि रेस्पोडेंट संख्या 15 को अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत पूर्ववर्ती राजस्व वाद संख्या 24/2008 का पूर्ण ज्ञान रहा है तथा इस पूर्ववर्ती वादपत्र की विषयवस्तु व मौजूदा वादपत्र की विषयवस्तु समान होने से यह प्रश्चातवर्ती वादपत्र या तो स्थगित होना चाहिए था या पूर्ववर्ती वादपत्र के साथ समेकित होना चाहिए था, अपने इन तर्कों के समर्थन में आर.आर.डी. 2013 पेज 476 व आर.आर.टी. 2019 पेज 411 प्रस्तुत किये। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 15 ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए स्व0 श्री भाग सिंह के द्वारा निष्पादित वसीयत को अपीलाण्ट द्वारा अपने अन्तर्स्थ उद्धेश्यों की पूर्ति हेतु लालच के वशीभूत होकर वसीयतकर्ता से वास्तविक तथ्य छुपाकर आनन–फानन में करवाई जाने से इस वसीयत को अवैध बताया गया तथा पूर्ववर्ती राजस्व वाद संख्या 262/1994 में न्यायालय से वांछित अनुतोष प्राप्त नहीं हो सकने के कारण अपीलाण्ट ने रेस्पोडेंट संख्या 15 को विश्वास में लेकर नया वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ दिनांक 27.07.2000 को वापिस करवाया था। अपीलाण्ट ने कथित वसीयत के आधार पर स्व0 श्री भाग सिंह के अन्य वारिसों का हक व हिस्सा हड़पने की गर्ज से राजस्व वाद संख्या 24/2008 न्यायालय में प्रस्तुत किया है तथा इस वादपत्र में रेस्पोडेंट संख्या 15 व स्व0 श्री भाग सिंह के अन्य वारिसों को हैरान व परेशान करने की गर्ज से स्थगन आदेश प्राप्त किया है। उक्त राजस्व वाद के विचाराधीन रहते हुए भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2012 पारित किये जाने में कोई विधिक वर्जना नहीं है। अपीलाण्ट का राजस्व वाद संख्या 24/2008 मात्र घोषणा के अनुतोष हेतु है तथा अपीलाधीन निर्णय खाता विभाजन के अनुतोष हेतु है, इसलिए दोनो वादपत्रों में वांचित अनुतोष व पक्षकार भिन्न–भिन्न होने से पश्चातवर्ती राजस्व वाद संख्या 70/2010 स्थगित किये जाने योग्य नहीं था। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने यह भी तर्क दिया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट की सम्यक रूप से तामील हो चुकी थी तथा वह जानबूझकर उपस्थित नहीं हुआ। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से अपीलाण्ट के कोई हक व हित प्रभावित नहीं हुये है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 15 ने यह भी कथन किया कि वसीयत दिनांक 15.01.1980 को दीवानी वाद में विरेन्द्रपाल सिंह ने चुनौती दे दी है। अतः ऐसी वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य नहीं है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने रेस्पोडेंट संख्या 15 की ओर से प्रस्तुत तर्कों का विरोध करते हुए वसीयतनामा दिनांक 15.01.1980 [illegible] में रेस्पोडेंट संख्या 15 के पूर्ववर्ती राजस्व वाद संख्ख्या 262/94 में [illegible] बयान दिनांक [illegible].09.1999 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट [illegible] को अपने पिता स्व0 श्री भाग सिंह द्वारा निष्पादित किये जाने के तथ्य स्वीकार किये है तथा इस स्वीकारोक्ति के विपरीत रेस्पोडेंट संख्या 15 नया कथन करने से विबंधित है। रेस्पोडेंट संख्या 15 ने असदभावनापूर्वक उक्त राजस्व वाद संख्या 262/94 प्रत्याहृत किया तथा स्व0 श्री भाग

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:11:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सिंह की रजिस्टर्ड वसीयत की मौजूदगी में विरास्तन इंतकाल का बेईमानीपूर्वक उपयोग करते हुए अपनी बहिनों से दस्तबरदारी अपने नाम करवाई। इस संबंध में रेस्पोडेंट संख्या 15 के विरूद्ध फौजदारी प्रकरण संख्या 430/2009 शीर्षक स्टेट बनाम सरजीत सिंह आदि अन्तर्गत धारा 420 भा.द.सं. विचाराधीन रहा जिसमें दिनांक 14.11.2019 को निर्णय होकर रेस्पोडेंट संख्या 15 को तीन वर्ष के साधारण कारावास व 10,000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या 15 ने वसीयत के आधार पर विचाराधीन पूर्ववर्ती वादपत्र के लम्बित रहते अपीलाधीन निर्णय व डिक्री वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 के साथ मिलीभगत कर गलत व विधि विरूद्ध रूप से अपने पक्ष में पारित करवाई है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

8. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया। यह स्वीकृत तथ्य है कि रेस्पोडेंट संख्या 15 व अपीलाण्ट ने स्व0 श्री भाग सिंह द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 15.01.1980 के आधार पर चक 7 ए.एम.पी. व चक 8 ए.एम.पी. की कृषि भूमि में स्व0 श्री भाग सिंह के वारिसों के नाम दर्ज विरासतन इंतकाल को चुनौती देते हुए राजस्व वाद संख्या 262/1994 प्रस्तुत किया हुआ था। इस वादपत्र में रेस्पोडेंट संख्या 15 के दिनांक 29.09.1999 को बयान भी हो चुके थे। इन बयानों में रेस्पोडेंट संख्या 15 ने अपने पिता स्व0 श्री भाग सिंह द्वारा निष्पादित वसीयत को प्रदर्श 2 के रूप में प्रदर्शित करवाया है तथा यह वसीयत स्व0 श्री भाग सिंह द्वारा निष्पादित किये जाने के तथ्य को स्वीकार किया है। तत्पश्चात दिनांक 27.07.2000 को यह राजस्व वाद मात्र सरजीत सिंह के आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 व धारा 151 सीपीसी पर वापिस लिया गया है। उक्त वादपत्र खारिज होने के उपरान्त अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलैक्टर संगरिया के समक्ष राजस्व वाद संख्या 24/2008 अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर.टी.एक्ट दिनांक 04.02.2008 को प्रस्तुत किया है। इस वादपत्र में अपीलाण्ट ने स्व0 श्री भाग सिंह के नाम दर्ज भूमि उनकी वसीयत दिनांक 15.01.1980 के आधार पर अपीलाण्ट व रेस्पोडेंट संख्या 15 की बहिस्सा बराबर की घोषित किये जाने तथा इस भूमि का वसीयत की मौजूदगी में दर्ज विरास्तन इंतकाल को चुनौती दी गई है। इस वादपत्र में रेस्पोडेंट संख्या 15 प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में पक्षकार रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने इस वादपत्र में उपस्थित आकर दिनांक 27.08.2009 को अपना जबाव दावा भी प्रस्तुत करते हुए अपने पिता स्व0 श्री भाग सिंह द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 15.01.1980 के तथ्यों से इन्कार किया है। अपीलाण्ट ने उक्त राजस्व वाद में प्रतिवादी सरजीत सिंह के जबाव दावा का ज[illegible]व भी प्रस्तुत किया है तथा यह वादपत्र दोनो पक्ष आज भी वि[illegible] कर रहे है। उक्त वादपत्र की लम्बित अवस्था में रेस्पोडेंट संख्या [illegible] के समक्ष राजस्व वाद संख्या 70/2010 प्रस्तुत किया। इस राजस्व वाद [illegible] स्व0 श्री भाग सिंह के खातो से संबंधित भूमि भी सम्मिलित की गई तथा स्व0 श्री भाग सिंह के वारिसान को प्रतिवादीगण संख्या 8 से 11 व 20 से 24 व 50 के रूप में संयोजित किया गया। इस वादपत्र में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:11:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रतिवादी संख्या 50 अर्थात् अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश हुये लेकिन प्रतिवादी संख्या 11 अर्थात् रेस्पोडेंट संख्या 15 ने काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर चक 7 ए.एम. पी. की प्रश्नगत 44 बीघा भूमि के संबंध में खाता विभाजन का अनुतोष चाहा। इस जबाव दावा में प्रतिवादी संख्या 11 अर्थात् रेस्पोडेंट संख्या 15 ने अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत पूर्ववर्ती वाद संख्या 24/2008 के तथ्यों को व स्व0 श्री भाग सिंह द्वारा निष्पादित वसीयत के तथ्यों को छुपाया है तथा इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 8 से 10 ने भी उक्त तथ्यों को छुपाते हुए जबाव दावा प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह वादपत्र व काउंटर क्लेम दिनांक 29.10.2012 को डिक्री किया व तत्पश्चात वादीगण के आवेदन पर वादीगण के पक्ष में पारित डिक्री को निरस्त कर दिया व काउंटर क्लेम के आधार पर पारित डिक्री को यथावत् रखा है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेंट संख्या 15 के मध्य स्व0 श्री भाग सिंह द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 15.01.1980 के आधार पर अधिकारों की घोषणा का वादपत्र राजस्व वाद संख्या 24/2008 विचाराधीन रहते हुए रेस्पोडेंट संख्या 12 से 15 व 24 से 28 ने अपने काउंटर क्लेम के आधार पर अपीलाधीन डिक्री हासिल की है। इस राजस्व वाद में अपीलाण्ट पर सम्यक रूप से तामील नहीं होने से वह अपना पक्ष रखने से वंचित हुआ है। विधि अनुसार भी जब एक भूमि के संबंध में अधिकारों की घोषणा को लेकर पूर्ववर्ती वादपत्र विचाराधीन रहा हो तब ऐसी स्थिति उसी समान विषयवस्तु के संबंध में पश्चातवर्ती वादपत्र या तो स्थगित किया जाना चाहिए था अथवा धारा 151 सीपीसी के अन्तर्गत पश्चातवर्ती वादपत्र पूर्ववर्ती वादपत्र के साथ समेकित किया जाकर पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 12 से 15 व 24 से 28 ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है तथा असदभावनापूर्वक पूर्ववर्ती वादपत्र में पक्षकार होते हुए इन तथ्यों को न्यायालय से छुपाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री हासिल की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह स्थिति भी प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण ने अपना वादपत्र धारा 88 व 53 प्रस्तुत किया तथा इस वादपत्र के आधार पर उनके पक्ष में डिक्री प्रदत्त किये जाने के उपरान्त उन्होनें अपना वादपत्र प्रत्याहृत कर प्रतिवादीगण के काउंटर क्लेम के आधार पर पारित डिक्री को यथावत् रखे जाने का निवेदन किया है। इन तथ्यों से भी यह परिलक्षित है कि रेस्पोडेंट संख्या 12 से 15 व 24 से 28 ने पूर्ववर्ती वादपत्र में स्व0 श्री भाग सिंह की वसीयत दिनांक 15.01.1980 के संबंध मे विवाद विचाराधीन रहते स्व0 श्री भाग सिंह की भूमि के संबंध में खाता विभाजन की डिक्री हासिल की है तथा ऐसी डिक्री से अपीलाण्ट के विधिक अधिकार प्रभावित ह[illegible] हालात में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय [illegible] 10.2012 हस्तक्षेप योग्य है तथा अपीलाण्ट की यह अपील स्वीका[illegible]

9. अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29.10.2012 के अन्तर्गत प्रतिवादीगण संख्या 8 से 11, 20 से 24 (रेस्पोडेंट संख्या 12 से 15 व 24 से 28) के पक्ष में चक 8 ए.एम.पी. के खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:11:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

संख्या 50/51 की 5.045 हैक्टेयर के खाता विभाजन की डिक्री तथा प्रतिवादी संख्या 11 (रेस्पोडेंट संख्या 15) के पक्ष में चक 7 ए.एम.पी. के खाता संख्या 86/70 की 11.132 हैक्टेयर भूमि के खाता विभाजन की डिक्री को अपास्त किया जाता है। उक्त निर्णय व डिक्री के आधार पर उक्त भूमि के संबंध में राजस्व अभिलेख में हुये अमलदरामद से पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा यह प्रकरण राजस्व वाद संख्या 21/2008 के साथ समेकित कर उभय पक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि अनुसार निर्णय पारित करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाई जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.6.22 को लिखा जाकर सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

27/6/22

(करतार सिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:11:11 IST
Reason: SelfAttested